



ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)

U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY,
 (Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech. Approved by (AICTE)

संख्या-638/भा.विवि/कुसका/2021
 दिनांक : २४ जुलाई, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

उप्रो ३० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा-२८ के अधीन मा० कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यादेश के प्राविधानानुसार प्रवेश समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	गठन का स्वरूप	पदनाम	अवधि
1	प्रो० अनिल कुमार शुक्ल, कुलपति	अध्यक्ष	पदेन
2	प्रो० मसूद आलम, संकायाध्यक्ष	सदस्य	पदेन
3	प्रो० एस०एस०ए० अशरफी, संकायाध्यक्ष	"	"
4	प्रो० चन्दना डे, संकायाध्यक्ष	"	"
5	प्रो० एहतेशाम अहमद, संकायाध्यक्ष	"	"
6	डॉ० नीरज शुक्ल, समन्वयक-एन०एस०एस०	"	"
7	डॉ० बुशरा अलवेरा, एन०सी०सी० अधिकारी	"	"
8	प्रो० फखरे आलम, आचार्य	"	01 वर्ष
9	प्रो० सौबान सईद, आचार्य	"	
10	डॉ० पूनम चौधरी, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि	"	01 वर्ष
11	डॉ० ततहीर फातिमा, मा० सदस्य कार्य परिषद्	"	01 वर्ष
12	प्रो० सैयद हैदर अली, मा० सदस्य विद्या परिषद्	"	01 वर्ष
13	डॉ० प्रवीण कुमार राय, कुलानुशासक	"	पदेन
15	श्री संजय कुमार सिंह, वित्त अधिकारी	"	"
16	श्री संजय कुमार, कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक	सचिव	"

(संजय कुमार)
 कुलसचिव।

प्रष्टांकन संख्या एवं दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निजी सचिव, कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- मा० सदस्यगण कार्य परिषद्, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- वित्त अधिकारी, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- समस्त संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष
- समस्त आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य
- उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव

कुलसचिव।